राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005
e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in Phone No. 0141-2740219

क्रमांक : F.6(a)01/GIF/Govt. Emp./Part-V/2023-2024/232 दिनांक : 30/06/2023

आदेश (47)

विषय :– समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी सं. GIF/81/GPA/2023-24/02 अन्तर्गत प्रीमियम कटौती के सबंध में।

विषयान्तर्गत निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज., जयपुर के अनुमोदन पश्चात् पॉलिसी संख्या GIF/81/GPA/2023-24/02 अन्तर्गत जिन कार्मिकों ने माह अप्रैल, 2023 से अथवा ई–ग्रास के माध्यम से दिनांक 31.05.2023 तक जीपीए प्रीमियम कटौती नहीं करवाई है, के लिए निम्न आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का माह अप्रैल, 2023 का वेतन किसी कारणवश आहरित नहीं हुआ है और न ही अधिकारी/कर्मचारी ने एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम जमा करवाया है, तो आगामी माह में जब भी अधिकारी/कर्मचारी का माह अप्रैल, 2023 का वेतन आहरित किया जावे तब अधिकारी/कर्मचारी प्रीमियम कटौती करवा सकता है अथवा ई–ग्रास के माध्यम से 31.07.2023 तक (जो भी पहले हो) जीपीए प्रीमियम जमा करवा सकता है।

2. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का माह अप्रैल, 2023 का वेतन तो आहरित हो गया किन्तु भूलवश प्रीमियम कटौती नहीं करवा पाया तो अधिकारी/कर्मचारी ई–ग्रास के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 तक जीपीए प्रीमियम कटौती करवा सकता है।

3. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का माह अप्रैल, 2023 का वेतन आहरित हो गया किन्तु भूलवश प्रीमियम कटौती नहीं करवा पाया और दिनांक 31.05.2023 के बाद एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम जमा करवा दिया है तो दिनांक 31.05.2023 के बाद प्राप्त प्रीमियम को पॉलिसी के पेटे जमा मानते हुए पॉलिसी में कवर किया जायेगा।

(उल्लेखनीय है कि The Insurance Act, 1938 के 64 VB –"No Risk to be assumed unless premium is received" के अनुसार कार्मिक को प्रीमियम राशि जमा दिनांक से 30.04.2024 तक ही समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2023–24 में कवर माना जावेगा)

निदेशक महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

(ऋतु नन्दा)
अतिरिक्त निदेशक(GIS)
साधारण बीमा निधि
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : F.6(a)01/GIF/Govt. Emp./Part-V/2023-2024 /232-33 दिनांक : 30/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
10. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग.....
11. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागी पोर्टल पर अपलोड करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

(अजीत सिंह)
सहायक निदेशक(सा.बी.यो.)
वित्त भवन, जयपुर